

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/77

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थना- पत्र	22/2024	15/2/2024	AMH 29/2/24	18/3/2024

अनवान

श्री श्रीरामलाल शंभूदास धाऊड

निवासी सदाशिवजी भा. खोडा
तह. बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

डिक्रीदार

श्री शम्भूलाल धाऊड

श्री जगदीशदास/0 जमलाल धाऊड

निवासी सदाशिवजी भा. खोडा तह. बिजौ.
वर्ग - 6

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

मदयून

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)






अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

दिनांक: दीनारलाल वनाम जगदीश
किस्म मुकदमा - 111-128 नम्बर 22 /2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15/2 /2024	<p>प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 18/3/2024 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां</p>	
18/3/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवापक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. का दौरा पर हैं। पत्रावली दिनांक 2/4/24 को वास्तु तलबी पेश हों।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी</p>	
24/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवापक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. का दौरा पर हैं। पत्रावली दिनांक 23/4/24 को वास्तु तलबी पेश हों।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी</p>	
23/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवापक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. का दौरा पर हैं। पत्रावली दिनांक 23/04/24 को वास्तु तलबी पेश हों।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाडा</p>	
29/04/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवापक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. का दौरा पर हैं। पत्रावली दिनांक 29/04/24 को वास्तु तलबी पेश हों।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाडा</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 22/24

तारीख 15/2/24

छीतरलाल पुत्र डुंगा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

01. जगदीशचन्द्र पुत्र जयलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. रामस्वरूप पुत्र जयलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. रमेश पुत्र नन्दलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. सुगनलाल पुत्र मूणलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. जगदीश पुत्र मन्नालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक: 23/4/24

प्रार्थना पत्र छीतरलाल पुत्र डुंगा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड़ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते ग्राम सदारामजी का खेडा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 48 पर अंकित आराजी संख्या 616/45 रकबा 0.2428 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडौंसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उमा जी का खेडा को पत्थरगढी बाबत कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फिस वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम सदारामजी का खेडा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 48 पर अंकित आराजी संख्या 616/45 रकबा 0.2428 हैक्टेयर भूमि यशामलात पडौंसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



3
उप खण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - २२/२५

तारीख २९/५/२५

पेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या २२ / 2024 पत्थरगढ़ी वावत्।

छीतरलाल पुत्र डुंगा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

01. जगदीशचन्द्र पुत्र जयलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. रामस्वरूप पुत्र जयलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. रमेश पुत्र नन्दलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. सुगनलाल पुत्र मूनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. जगदीश पुत्र मन्नलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम सदारामजी का खेडा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 48 पर अंकित आराजी संख्या 616/45 रकबा 0.2428 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर उमा जी का खेडा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढ़ी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढ़ी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



3
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा